न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 14/2022

दायर दिनांकः 14.07.2022

निर्णय दिनांक 28.11.2025

—: अनवान :—

श्री प्रताप सिंह पिता श्री प्रेम सिंह जी, जाति रावत, निवासी ढण्डाला, हामेला की बेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.) **— अपीलान्ट**

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमान् पटवारी साहब, पटवार मण्डल बरार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द

— रेस्पोण्डेन्टगण

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार साहब, भीम के मुकदमा नम्बर 227 सन् 2019 ना.क. निर्णय दिनांक 15/11/2019 द्वारा पारित आदेश गोपीलाल रेबर एन.टी.डी.आर. बअनवान पटवारी हल्का बनाम प्रताप सिंह

उपस्थितः—

1— श्री आर एल रावत, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील न्यायालय तहसीलदार भीम के द्वारा मुकदमा संख्या 227/2019 ना0क0 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध पटवार हल्का बरार के द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार संवत 2076 में गांव हामेला की वेर की भूमि आराजी संख्या 9114, रकबा 0.02 किस्म चारागाह, लगानी 1.00 पर अतिक्रमण पाया गया, जिसका पर्चा मौका मय रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस दिनांक 15/11/2019 का जारी किया, उसके बाद में अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में बिना अपीलाण्ट की तामिल कराये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित कर दिये, जो विधि विरूद्ध हैं। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील अपीलाण्ट द्वारा इन आधारों प्रस्तुत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिक सम्यक प्रक्रिया अपनाये आनन—फानन में अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया हैं, वह कानून विधि एवं सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज के हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर के आदेश पारित किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने जो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आदेश पारित किया, वह काबिल खारिज के है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मनमकसूद तरीके से हल्का पटवारी से जो रिपोर्ट मांग कर कार्यवाही की है।, वह गलत रूपेण की है। अपीलान्ट रावत जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है एवं अपीलाण्ट के पास रहने की उक्त जगह के अलावा और कोई जगह नहीं है। आराजी संख्या 9114 की जमीन पर करीब 4–00 (चार बीघा) भूमि पर अपीलाण्ट/प्रार्थी का कब्जा होकर मकान व दूकाने बना रखी हैं एवं हनुमान जी का मन्दिर बना हुआ हैं एवं हनुमान जी का मन्दिर का कार्य भी निर्माणाधीन हैं। उक्त जमीन पर बनाये मकान में अपीलाण्ट/प्रार्थी परिवार सहित निवास कर रहा हैं और उक्त जगह के अलावा और कोई मकान की जगह नहीं हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन बातों पर गौर नहीं कर विवादित आदेश पारित किया, जो कानून के विपरीत होकर अपास्त योग्य हैं। राज्य सरकार के समय–समय पर जारी होने वाले परिपत्रों की तारीफ में अपीलाण्ट का वैध कब्जा हैं एवं अपीलाण्ट पिछले 30–40 वर्षों से उक्त जमीन पर काबिज हैं इसके अलावा अपीलाण्ट के रहने का कहीं पर भी घर नही है। ऐसी स्थिति में राज्या सरकार के समय–समय पर जारी हुए परिपत्र, जिसमें चारागाह भूमि भी हैं एवं वर्ष 2004 एवं वर्ष 2007 से पूर्व का पुराना कब्जा है एवं अपीलाण्ट अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का गरीब व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को बेदखल नहीं किया जाकर उसके कब्जे को विनियमितीकरण करना राज्य सरकार का दायित्व है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर एवं बेदखली का आदेश पारित भारी कानूनी भूल कारित की है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी उक्त सारी कार्यवाही से अनभिज्ञ था, लेकिन आज से 7 दिन पूर्व हल्का पटवारी व सरपंच मौके पर आकर कहने लगे कि उक्त जमीन पर नव सृजित पंचायत हामेला की वेर का उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाना हैं, इसलिये तुम्हे बेदखल किया जा रहा हैं जिस पर अपीलाण्ट/प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी हुई एवं जानकारी होते ही अविलम्ब उक्त अपील श्रीमान् की सेवा में पेश की जा रही हैं। इसके अलावा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र कानूनी अड़चन से बचने के लिए पृथक से पेश किया जा रहा हैं, ऐसी स्थिति में गुजरी मयाद को भी न्यायहित में समयोजित किया जाना आवश्यक हैं। राज्य सरकार के द्वारा नवसृजित पंचायतो के बनने वाले भवन एवं स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य पंचायत के सभी भवन एक ही जगह पर एकीकृत करते हुये मिनी सचिवालय के रूप में राज्य सरकार ने एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं देने का प्रावधान किया हैं, लेकिन सरपंच व पटवारी के द्वारा राजनैतिक द्वेषता के पंचायत से दूर जाकर अपीलाण्ट/प्रार्थी के कब्जे की जमीन पर अवैध रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्र की जमीन को आरक्षित करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा हैं, जो कानून, विधि व सिद्धान्तों के प्रतिकुल होने से विधि–विरुद्ध हैं। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत नये परिपत्र जारी करते हुये आदेशित किया हैं कि यदि चारागाह जमीन जिस पर मकान निर्मित एवं विद्युत सम्बन्ध है तथा पुरा परिवार वहीं निवासरत हैं, ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार ने नियमन के प्रावधान किये हैं, उसकी पालना में भी अपीलाण्ट/प्रार्थी का कब्जा नियमन योग्य होकर जो आलोच्य आदेश पारित किया गया हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जावे और अपीलाण्ट के नाम पर आराजी संख्या 9114 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म चारागाह में से अपीलाण्ट का कब्जा मकान, दूकान व हनुमान जी का निर्माणाधीन मन्दिर के रूप में कब्जे का विनियमितीकरण कराया जाकर अपीलाण्ट के नाम पर पट्टा जारी करने का आदेश प्रदान किया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध पटवार हल्का बरार के द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार संवत 2076 में गांव हामेला की वेर की भूमि आराजी संख्या 9114, रकबा 0.02 किस्म चारागाह, लगानी 1.00 पर अतिक्रमण पाया गया, जिसका पर्चा मौका मय रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस दिनांक 15/11/2019 का जारी किया, उसके बाद में अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में बिना अपीलाण्ट की तामिल कराये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित कर दिये, जो विधि विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिक सम्यक प्रक्रिया अपनाये आनन–फानन में अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया हैं, वह कानून विधि एवं सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज के हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर के आदेश पारित किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है। आराजी संख्या 9114 की जमीन पर करीब 4–00 (चार बीघा) भूमि पर अपीलाण्ट/प्रार्थी का कब्जा होकर मकान व दूकाने बना रखी हैं एवं हनुमान जी का मन्दिर बना हुआ हैं एवं हनुमान जी का मन्दिर का कार्य भी निर्माणाधीन हैं। उक्त जमीन पर बनाये मकान में अपीलाण्ट/प्रार्थी परिवार सहित निवास कर रहा हैं और उक्त जगह के अलावा और कोई मकान की जगह नहीं हैं। ऐसी स्थिति में राज्या सरकार के समय–समय पर जारी हुए परिपत्र, जिसमें चारागाह भूमि भी हैं एवं वर्ष 2004 एवं वर्ष 2007 से पूर्व का पुराना कब्जा है एवं अपीलाण्ट अन्य पिछड़ा वर्ग जाति का गरीब व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को बेदखल नहीं किया जाकर उसके कब्जे को विनियमितीकरण करना राज्य सरकार का दायित्व है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जावे और अपीलाण्ट के नाम पर आराजी संख्या 9114 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म चारागाह में से अपीलाण्ट का कब्जा मकान, दूकान व हनुमान जी का निर्माणाधीन मन्दिर के रूप में कब्जे का विनियमितीकरण कराया जाकर अपीलाण्ट के नाम पर पट्टा जारी करने का आदेश प्रदान किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत व नियमानुसार है। तथा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की गयी है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का बरार तहसील भीम की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हामेला की वेर की आराजी संख्या 9114 रकबा 0.02 किस्म चारागाह भूमि पर श्री प्रतापसिंह पिता प्रेमसिह जाति रावत ने नाजायज कब्जा कर रखा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी श्री प्रतापसिंह पिता प्रेमसिह जाति रावत निवासी ढण्डाला, हामेला की वेर को नोटिस जारी किया गया। वो नोटिस उसकी पत्नि यानि अपीलार्थी ने स्वयं प्राप्त किया। जो बाद तामील रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। तथा दिनांक 15.11.2019 को अपीलार्थी स्वयं भी उपस्थित हुई। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अतिक्रमी श्री प्रताप सिंह को विधिवत नोटिस जारी करते हुए तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वो चारागाह भूमि पर से अतिक्रमी को हटाने के लिए निमयानुसार की गयी है जो कि तहसीलदार का भूमिधारक होने के कारण कर्तव्य भी है। तथा अपीलार्थी को सुनवाई का भी पूर्ण अवसर दिया गया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के कही निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि चारागाह भूमि पर किसी भी अतिक्रमी के पक्ष में नियमन नहीं किया जा सकता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमी को हटाने के लिए जो निर्णय किया गया है उसमें कोई त्रुटी नहीं समझता हूँ। तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज करना न्यायोचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2019 को यथावत रखा जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार भीम को लौटायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)